सं. जैड-28015/467/2018-टीबी-पार्ट(2)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(केंद्रीय क्षय रोग प्रभाग)

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इको इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन।

परियोजना इको (एक्सटेंशन फॉर कम्यूनिटी हैल्थकेयर आउटकम्स) का उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों को जटिल बीमारियों के उच्च गुणवत्ता, साक्ष्य आधारित उपचार के बारे में प्रशिक्षण देकर ग्रामीण और परम्परागत रूप से अल्पसेवित मरीजों के लिए परिचर्या की पहुंच में सुधार लाना है। ग्रामीण और अल्पसेवित समाज में सेवा कर रहे चिकित्सक हब तथा स्पोक मॉडल के माध्यम से टेली इको 'क्लिनिकों' में भाग लेते हैं। यह मॉडल कार्यक्रमों की समीक्षा करने, स्टाफ की क्षमता का निर्माण करने तथा कार्यक्रम संबंधी जानकारियों के प्रचार-प्रसार का अवसर भी प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय संस्थाओं और अस्पतालों द्वारा इको मॉडल का उपयोग करते हुए और लाभ प्राप्त करने के लिए समर्थकारी बनाने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इको इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन से व्यक्तिगत कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संस्थानों के बीच अलग से समझौता ज्ञापन की आवश्यकता नहीं होगी। समझौता ज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी दोनों पाठ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के खंडों की व्याख्या में किसी प्रकार का विवाद होने पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अंग्रेजी पाठ को अंतिम माना जायेगा।

दिनांक 09.09.2019

स्थान: नई दिल्ली

(सुश्री शान्ति नेगी)

अवर सचिव, भारत सरकार

1481193/2019/TB DIVISION

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-DL29439933187364R
Certificate Issued Date	:	26-Jul-2019 04:20 PM
Account Reference	:	IMPACC (IV)/ dl732103/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL73210364413269210663R
Purchased by	:	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
Description of Document	:	Article 5 General Agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
Second Party	:	ECHO TRUST INDIA
Stamp Duty Paid By	:	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

Sunil Anand.

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

समझौता ज्ञापन

हस्ताक्षरित/- **हस्ताक्षरित/-**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय **और** **इको ट्रस्ट इंडिया (एक्सटेंशन फॉर कम्यूनिटी हेल्थकेयर आउटकम्स)**

निर्माण भवन
राजपथ एरिया
केंद्रीय सचिवालय
नई दिल्ली - 110011

सी2/44 सफदरजंग
डवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली
- 110016 इंडिया

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

Project ECHO®

समझौता ज्ञापन

अनुच्छेद–I पृष्ठभूमि

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों को समान, सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के प्रयासों के केंद्र बिंदु में एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जो भारतीय नागरिकों के लिए निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ एक मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में, नई और महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत पहल शुरू किया है ताकि सभी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 150,000 आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) का एक नेटवर्क स्थापित करने की परिकल्पना की है जो समय के अनुसार 12 आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का पैकेज प्रदान करेगा, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है:

1- गर्भावस्था और शिशु जन्म देखभाल

2- नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

3- बाल्यवस्था एवं कशोिरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

4- परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएं और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

5- राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों सहित संचारी रोगों का प्रबंधन

6- सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और गंभीर सामान्य बीमारी और छोटी-मोटी बीमारियों के लिए बाह्य रोगी देखभाल।

7- गैर-संचारी रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन।

8- सामान्य नेत्र और ईएनटी समस्याओं की देखभाल

9- बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल

10- बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ

11- आपातकालीन चिकित्सा सेवा

12- मानसिक स्वास्थ्य रोगों की जांच और बुनियादी प्रबंधन

नेशनल हेल्थ स्टैक (एनएचएस), जिसे दो- स्तरीय आयुष्मान भारत योजना की रीढ़ के रूप में काम करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढाँचे के रूप में जाना जाता है, भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं में आईटी के उपयोग को बढ़ावा देने पर अधिक जोर देता है, जिसमें टेलिमेडीसीन / टेलीकंस्लटेशन का उपयोग शामिल है। । इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, जो वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने के सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य से आगे है। आईटी का उपयोग सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारंपरिक क्षमता निर्माण और निगरानी के लिए त्वरितलागत प्रभावी और सुलभ विकल्प है।

यह मानते हुए कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की पर्याप्त क्षमता निर्माण के बिना यह सब हासिल नहीं किया जा सकता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों / उत्कृष्टता के केंद्रों के स्तर पर अर्जितज्ञान के लिए इको के तकनीकी मंच के उपयोग की आवश्यकता महसूस की है, जिसका प्रसार आत्मविश्वास का निर्माण करके किया जाना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

प्रोजेक्ट इकी को परियोजना चिकित्सा शिक्षा और देखभाल प्रबंधन का एक सहयोगी मॉडल है जो चिकित्सकों को जहां वे रहते हैं, ठीक वहीं से, हर जगह अधिक से अधिक लोगों को बेहतर देखभाल प्रदान करने के लिए सशक्त करता है। इस समय भारत में टेलिइको कार्यक्रम बीमारी की विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए हब के माध्यम से चलाए जाते हैं। जैसे कि लत एवं पदार्थ उपयोग विकार मानसिक स्वास्थ्य, तपेदिक (एमडीआरटीबी), हेपेटाइटिस सी, लिवर रोग, कैंसर जांच और रोकथाम, एचआईवी, प्रशामक देखभाल, कॉर्निया। इको इंडिया का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा ज्ञान का लोकतंत्रीकरण करना है और डॉक्टरों को पूरे भारत में अल्पसेवित लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाना है।

आईटी का उपयोग कर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एक हब एवं स्पोक मॉडल में नेटवर्क स्थापित करने में इको इंडिया की उपयोगिता को समझते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इस एमओयू के माध्यम से इको मॉडल के कार्यान्वयन की परिकल्पना की है।

अनुच्छेद II उद्देश्य

समझौता ज्ञापन, जिसे बाद में एमओयू कहा गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और इको (कम्युनिटी हेल्थकेयर के परिणामों के लिए विस्तार) ट्रस्ट, भारत में सहयोग के लिए है ताकि भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का समर्थन करने के लिए संयुक्त रूप से काम किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और इको ट्रस्ट, इंडिया के बीच इस महत्वपूर्ण भागीदारी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों, केन्द्र सरकार के संस्थानों और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अस्पतालों का समर्थन करना ताकि इको मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए किया जा सके जिनमें विशेषज्ञ, डॉक्टरों, पैरामेडिकल पेशेवरों, मध्य स्तर स्वास्थ्य प्रदाता और

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

Project ECHO

अग्रपंक्ति कार्यकर्ता शामिल हैं और व्यापक प्राथमिक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न रोग कार्यक्रमों की समीक्षा की जा सके और ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीति अपडेट का प्रसार किया जा सके।

इस भागीदारी के भाग के रूप में निम्नलिखित कार्यकलाप शामिल किए जा सकते हैं–

क. दुर्लभ संसाधनों को उपयोग करने और ज्ञान नेटवर्क का सृजन करने के लिए प्रौद्योगिकी टेली इकोटीएम मल्टी प्वांइट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट) का उपयोग करना।

ख. स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों, चिकित्सा महाविद्यालयों / जिला अस्पतालों / सीएचसी / पीएचसी / स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के प्रशिक्षण हेतु एक मल्टी-टियर प्रणाली की स्थापना करना।

ग. क्षेत्रीय अथवा राज्य स्तर के अथवा राज्यों में डिजीवन/जिला स्तर के केन्द्र (हब्स) स्थापित करना।

घ. विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों और अग्रणी कार्यकर्ताओं के लिए इको क्लीनिकों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन ।

ङ. कार्यक्रमों के सफल समापन पर उक्त स्वास्थ्य व्यवसायियों का प्रमाणन (यदि व्यवहार्य हो)

च. कार्यक्रम समीक्षाओं का संचालन

छ. ज्ञान, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं और नीति संबंधी अद्यतन जानकारी का प्रचार-प्रसार।

अनुच्छेद- ||| पक्षकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली जिसे इसमें आगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कहा जाएगा और संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

के माध्यम से इसके प्रतिनिधि और इको ट्रस्ट, इंडिया (सी2/44 सफदरजंग विकास क्षेत्र, नई दिल्ली -110016 भारत) इसके निदेशक के माध्यम से प्रतिनिधि इस समझौता ज्ञापन के पक्षकार हैं।

अनुच्छेद IV इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षकारों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

4.1 **इको ट्रस्ट, इंडिया-**

इको ट्रस्ट, इंडिया सहयोग की भावना में निम्नलिखित कार्यक्रम और साधन प्रस्तुत करता है:

4.1.1 इच्छुक व्यक्तियों, संगठनों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के रोग कार्यक्रमों हेतु परिचयात्मक स्तर की परियोजना इको ऑरिएंटेशन आयोजन की भारत में मेजबानी करेगा।

ऑरिएंटेशन के बाद, इको ट्रस्ट, इंडिया स्थल पर प्रशिक्षण के माध्यम से या वीडियो कांफ्रेसिंग अथवा एक सिंक्रोनस वीडियो मॉड्यूल के माध्यम से प्रोजेक्ट इको श्रेष्ठ प्रक्रिया और साधनों पर एक अधिक विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

इनमें निम्नलिखित हैं, किंतु ये केवल इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:-

क. इको क्लीनिकों का संचालन

ख. सामुदायिक भागीदारों की भर्ती करना

ग. आईटी साधन(हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर)

4.1.2

उपलब्ध होने पर वर्तमान संग्रहीत टेली इको टीएम अध्यापन पद्धति का प्रयोग उपलब्ध कराना।

4.1 .3

परियोजना इको द्वारा विकसित आईटी साधनों, मूल्यांकन साधनों (दोनों-प्रदाता एवं रोगी संकेन्द्रित) तथा पाठ्यकृत सामग्रियों का लाइसेंस शुदा उपयोग उपलब्ध कराना।

4.1. 4

31 दिसंबर, 2025 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को बिना प्रभार के ज़ूम टेलीकॉन्फ्रेसिंग का लाइसेंसशुदा उपयोग उपलब्ध कराना (उनकी क्षमता एवं लाइसेंसशुदा उपयोग में) इस उत्पाद हेतु इको ट्रस्ट, भारत का कोई दायित्व नहीं है। यूएनएमएचएससी (न्यू मेक्सिको स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र विश्वविद्यालय) के ज़ूम सहित संविदा द्वारा यथा अपेतक्षत ज़ूम सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल परियोजना इको कार्यकलापों के लिए सीमित है।

4. 1.5

इको सत्रों के लिए हब के रूप में विकास में संयुक्त रूप से चिन्हित क्षेत्रीय तथा राज्य स्थनलों में सहायता करना और सहमत अनुसूची के अनुसार इको सत्र नियमित रूप से चलाने में राज्यों को सहायता करना।

4.1.6

इको सभी कार्यकलापों, चाहे वे मुद्रित या ऑनलाइन सामग्रियों, विपणन सामग्रियां अथवा इको सत्र हों, हेतु भारत सरकार एवं एनएचएम के लोगो के साथ परियोजना इको के ट्रेडमार्क वाले लोगो का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हब साइट्स, इको के सभी कार्यकलापों के दौरान, कैमरा एवं दर्शकों/एक-दूसरे के संगठनों के लोगो वाला एक बैनर लगा सकेंगे।

4.1 .7

मामला अध्ययनों, जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम प्रभाग भाग लेने के रूप में कार्यकम चुनौतियों एवं सफलताओं, का उपयोग करते हुए स्थापित एवं नए रेप्लिकेशन भागीदारों में कार्यक्रमबद्ध एक चालू मेटा इको टीएम श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को वास्तविक साझेदारी का

आयोजन करना। इसके अतिरिक्त, इससे साहित्य समीक्षाओं और ग्लोबल स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ-साथ मेटा इको सोच के आधार पर प्रोजेक्ट इको की संलिप्तता हेतु नयी संभावनाएं खुलेंगी।

4.1.8

इस समझौता ज्ञापन के तहत इको कार्यक्रम से व्युत्पन्न कोई भी सामग्री, नेटवर्क प्रयोग करने वालों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते कि ऐसे व्युत्पन्न कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नेटवर्क्स से भिन्न इको नेटवर्क्स पर साझा किया जाएगा। ऐसी व्युत्पन्न सामग्री का अन्य नेटवर्क्स के साथ उपयोग किए जाने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को उचित श्रेय दिया जाएगा। भारत के इको मॉडल से व्युत्पन्न किसी भी सामग्री को व्यावसायिक उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

4.2 **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

यह समझौता ज्ञापन इको इंडिया के साथ अलग से समझौतों की आवश्यकता के बिना इको मॉडल का उपयोग करने के लिए कार्यक्रम प्रभाग को समर्थकारी बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्पष्ठ रूप से यह प्रतिबद्धता करता है कि इस मॉडल का उपयोग करने की इच्छा व्यक्त करने वाले सभी कार्यक्रम प्रभागों और केन्द्रीय सरकारी संस्थानों/अस्पतालों को बौद्धिक सम्पत्ति समझौतों के संबंध में इस समझौता ज्ञापन में किए गए अनुबद्ध के अनुसार पर्याप्त रूप से जागरुक किया जाएगा।

जब भी कभी कार्यक्रम प्रभाग इस समझौता ज्ञापन का उपयोग करना तथा केन्द्रों की स्थापना करना चाहेगा तो इन प्रत्येक केन्द्रों पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम प्रभाग द्वारा इन केन्द्रों के माध्यम से की जा रही इको संबंधी किसी भी गतिविधि के लिए आईपीआर समझौते का पूरी निष्ठा के साथ अनुपालन किया जा रहा है।

सत्यमेव जयते
Government of India

परस्पर जिम्मेदारी की भावना से, कार्यक्रम प्रभाग/केन्द्रीय सरकार संस्थानों और अस्पतालों से यह अपेक्षा की जाती है कि वेः

4.2.1 परियोजना इको ओरिएंटेशन* और इसके बाद परियोजना इकोइंपलिमेंटेशन* प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए टीम लीडरों (क्लिनिशियनों और/अथवा प्रशासकों) को भेजें।

4.2.2 संगत प्रकाशनों और लिखित सामग्रियों में इस कार्य का उल्लेख करते हुए परियोजना इको* तथा इको* मॉडल का उद्धरण देने के लिए सहमत हैं। ट्रेडमार्क युक्त परियोजना इको* लोगो, शीर्षक और/या मॉडल का उपयोग यूएनएमएचएससी या अन्य किसी इको सुपर हब में अनुभवी संकाय और स्टाफ से परियोजना इको* पर समुचित प्रशिक्षण की अपेक्षा रखता है।

4.2.3 परियोजना इको* शिक्षा शास्त्र, पाठ्यक्रम, सॉफ्टवेयर, संसाधनों और अन्य सामग्रियों के उपयोग में, उपयोग की किसी भी अनुबंधित शर्तों के साथ-साथ परियोजना इको* कॉपीराइट तथा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों का सम्मान करें।

4.2.4 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इको संबंधी समस्त क्रियाकलापों का पता लगाने के लिए आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार आईइको नामक इको सॉफ्टवेयर कार्यक्रम का उपयोग करें और यूएनएमएचएससी में इको न्यास, भारत तथा परियोजना इको* के लिए आंकडों की पहुँच उपलब्ध कराएं।

4.2.5 आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आई स्वास्थ्य/इको स्वास्थ्य और टेलि इको टीएम आर्किटेक्टर सहित अतिरिक्त परियोजना इको* सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग कर सकता है। इन उपकरणों में किसी भी प्रकार का संशोधन परियोजना इको यूएनएमएचएससी से बिना परामर्श कि अनुमोदन करना निषेध है। इन उपकरणों का वाणिज्यिकी उपयोग या बिक्री करना निषेध है।

4.2.6 इको प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों/चुनौतियों के बारे में मेटा इको टीएम और/ या प्रत्यक्ष सम्प्रेषणों के माध्यम से इको ट्रस्ट, इंडिया को फीडबैक उपलब्ध कराएं। चुनौतियों और समाधानों के संबंध में दिए गए फीडबैक को परियोजना इको* व्यवहारों में शामिल किया जाएगा तथा उनका विश्वव्यापी रूप से परियोजना इको* प्रत्युत्तर प्रयासों में सुधार लाने के लिए किया जाएगा। मुक्त एवं बहु-आयामी सम्प्रेषणों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है।

4.2.7 जब भी सम्भव हो अनुसंधान अवसरों पर इको ट्रस्ट, इंडिया के साथ सहयोग।

4.2.8 परियोजना इको* तथा इसकी लाइसेंसयुक्त सामग्रियों का, अननुमोदित वाणिज्यिक प्रयोजनों (जैसे कि परियोजना इको* से संबंधित किसी भी उत्पाद से संसाधित करने के लिए, इसके निषिद्ध होने के कारण, उपयोग नहीं करेंगे (इको* परियोजना को जारी रखने के लिए स्थानीय या राष्ट्रीय भुगतानकर्ताओं के साथ की जाने वाली वित्तीय व्यवस्थाएं स्वीकार्य हैं, जबकि मॉडल या उत्पादों की बिक्री करना स्वीकार्य नहीं है)

4.3 <u>दोनों पक्षों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे:</u>

4.3.1 समूचे विश्व में अल्पसेवित व्यक्तियों के लिए सर्वोत्तम परिचर्या व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ज्ञान पर एकाधिकार समाप्त करें और क्षमता का विस्तार करें।

4.3.2 इको मॉडल को क्रियान्वित करें :

4.3.2.1 दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करने तथा ज्ञान नैटवर्क का सृजन करने के लिए प्रौद्योगिकी (टेलिइको टीएम मल्टी पॉइंट वीडियो कांफ्रेंसिंग और इन्टरनेट) का उपयोग करें।

4.3.2.2 परिचर्या को संसाधित करने में अन्तरों में कमी लाकर तथा उत्तम परिपाटियों को साझा करके परिणामों में सुधार लाएं।

4.3.2.3 मामला आधारित जानकारी का उपयोग करेः कार्य करते हुए जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए मामला विषय विशेषज्ञों की एक बहुआयामी टीम के साथ वास्तविक जीवन मामलों के माध्यम से मार्गदर्शित प्रैक्टिस।

4.3.2.4 जैसा कि आईपीआर समझौते के खंड 4.2 में भी विनिर्दिष्ट किया गया है, परियोजना इको ऑपरेशनों और प्रबन्धन के सभी पहलुओं में रोगी गोपनीयता और निजता के महत्व तथा कार्यक्रम परक आंकड़ों की सुरक्षा करें। इको मॉडल तथा प्लेटफॉर्म की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी करने के लिए उपयोग तथा परस्पर कार्य करने को एक साथ वैध करने हेतु एक-दूसरे को इको संबंधी आंकड़ों की पहुँच उपलब्ध कराएं।

अनुच्छेद V **वित्तीय-**

यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा इको ट्रस्ट, इंडिया के बीच एक गैर-वित्तीय और अबाध्यकारी समझौता है जिसमें किसी भी पक्ष को पास दूसरे पक्ष की कोई भी वित्तीय देयता नहीं है। यह समझौता ज्ञापन किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यता का सृजन नहीं करता, परन्तु केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले अनेक कार्यक्रम प्रभागों तथा संस्थानों/अस्पतालों की आईपी समझौते के अनुसार इको मॉडल का उपयोग करने के लिए समर्थकारी बनाता है।

अनुच्छेद VI **विविध**

यह एमओयू स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कार्यक्रम प्रभागों, केन्द्र सरकार के अस्पतालों एवं संस्थानों पर लागू है। जहां कही भी इको प्लेटफार्म का इसकी प्रयोज्यता जैसी बताई गई है, के बाहर विस्तार किया जाना अपेक्षित है, वहां राज्य स्तरीय/अन्य संस्थाओं द्वारा पृथक करार (रों) पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा।

जिसके साक्ष्य में, इको ट्रस्ट इंडिया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपरोक्त इंगित दिवस तथा वर्ष को अपने आधिकारिक प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए यह करार किया है।

<u>हस्ताक्षरित/-</u>

<u>श्री विकास, संयुक्त सचिव</u>
<u>(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)</u>
(प्रतिलिपिकारक साझेदार प्रतिनिधित्व)
दिनांक : 29.07.2019

गवाह: हस्ताक्षरित
डॉ. रघुराम राव, उप निदेशक (टीबी)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

हस्ताक्षरित/-

डॉ. सुनील आनंद, कार्यकारी निदेशक

(इको ट्रस्ट, इंडिया के प्रतिनिधि)

दिनांक: 29 जुलाई, 2019

गवाह: हस्ताक्षरित

श्री प्रशांत पिलई, एसोसिएट मैनेजर

उप लाईसेंस धारक प्रतिकृति स्थल

बौद्धिक संपदा उपयोग की शर्तें

संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), निर्माण भवन, नई दिल्ली (बाद में '' स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

और

सत्यमेव जयते
Government of India

कार्यकारी निदेशक, इको इंडिया (इसके बाद ''इको इंडिया'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के माध्यम से इको इंडिया

के मध्य

यह ''बौद्धिक संपदा उपयोग की शर्तों संबंधी करार'' पर आज दिनांक 29 जुलाई, 2019 (प्रभावी तिथि) को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए है।

अब, इस पर एतद् द्वारा और निम्नवत रूप से पक्षों के बीच सहमति है:

पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मंत्रालय है जिसके पास भारत में स्वास्थ्य संबंधी नीति का प्रभार है और माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनेक स्वास्थ्य विभाग तथा सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्रालय का मुख्य जन स्वास्थ्य शासनादेश भारत के लोगों को पर्याप्त, किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय के

सत्यमेव जयते
Government of India

प्रयासों के केन्द्र में एक सशक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली है जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर मुख्य ध्यान दिया गया है।

परियोजना इको (सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या निष्कर्षों का विस्तार) (''परियोजना इको'') ने एक अग्रणी टेलीमेंटरिंग और दूरस्थ-शिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है जिसे रोगी परिचर्या में सुधार करने और स्वास्थ्य परिचर्या कार्य बल को कई गुना बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इको परियोजना में न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय (यूएनएम) के राज-प्रतिनिधियों द्वारा विकसित एवं स्वामित्व वाली बौद्धिक संपदा शामिल है। इको इंडिया (''सुपर हब साईट'') ने अपने जन परिचालन जिसे इको संस्थान के स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्रों के रूप में जाना जाता है, के लिए न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के राज-प्रतिनिधियों के साथ दिनांक14 जून, 2015 को इको इंडिया (''सुपर हब स्थल करार'') के लिए बौद्धिक संपदा उपयोग की शर्तों संबंधी करार की परियोजना इको पर हस्ताक्षर किए। उस सुपर हब स्थल करार के अनुसार, इको इंडिया के पास उपयुक्त उप लाइसेंस धारक प्रतिकृति स्थलों के लिए कुछ लाइसेंसयुक्त बौद्धिक संपदा (जैसा नीचे परिकल्पित किया गया है) के उप लाइसेंस के अधिकार है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (''उप लाइसेंस धारक प्रतिकृति स्थल'') की इको परियोजना संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए आवश्यक अधिकारों एवं लाइसेंसों की प्राप्ति के लिए यह उप लाइसेंसधारक प्रतिकृति स्थल बौद्धिक संपदा उपयोग की शर्तों संबंधी करार (करार) करनेकी अभिलाषा है तथा इको इंडिया परियोजना इको मिशन, सुपर हब स्थल करार एवं इस करार की सभी शर्तों के अनुसार उप लाइसेंस धारक प्रतिकृति स्थल (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) को इको परियोजना के क्रियाकलापों को करने हेतु सक्षम बनाने के लिए इसे अधिकार तथा लाइसेंस प्रदान करने की इच्छा रखती है।

मिशन का वक्तव्य

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

विश्व के सभी अल्पसेवित व्यक्तियों हेतु उत्कृष्ट परिपाटियां प्रदान करने के लिए क्षमता तथा ज्ञान विस्तार हेतु इको परियोजना एक आंदोलन है।

अनुच्छेद I – परिभाषा

इस अनुबंध में वाक्याशों तथा बड़े करके लिखे गए शब्दों का अर्थ संलग्न शब्दकोश में दिया जाएगा।

अनुच्छेद II – इको परियोजना की गतिविधियां आयोजित करना

2.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इको परियोजना गतिविधियां आयोजित करना: *इस अनुबंध की शर्तों तथा नियमों के अनुसार, इको इंडिया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गैर अनन्य अधिकार प्रदान करती है ताकि परियोजना इको गतिविधियां आयोजित की जा सकें तथा इको परियोजना के बाद इस समन्वय से किसी अन्य परियोजना के भाग के रूप में इको के नाम का प्रयोग किया जा सकता है। इस परियोजना का नाम या शीर्षक अनुबंध की शर्तों के अनुसार इस कस्टमाइज्ड बौद्धिक सम्पदा में उपयोग किए गए संगठनात्मक नाम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।*

2.2 लाइसेंस प्रदान करना – *स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में इको परियोजना गतिविधियों को आयोजित कराने की अनुमति हेतु निःशुल्क इको परियोजना गतिविधियां आयोजित करवाने के लिए लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक सम्पदा के पुनरुत्पादन तथा उपयोग हेतु इको इंडिया द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को गैर अनन्य अधिकार तथा लाइसेंस प्रदान कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, इको इंडिया द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एतद् द्वारा अधिकार दिया जाता है ताकि वह इस अनुबंध की धारा4.2 के अनुसार निःशुल्क रूप से इको परियोजना गतिविधियों की प्रतिकृति की सुविधा तथा प्रतिकृति के व्युत्पन्न कार्यों का उत्पादन तथा उपयोग कर सके। समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने वाले किसी भी केंद्रीय/राज्य संस्थान / स्थलों द्वारा तथा स्कोप्स का भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय*

द्वारा परिचालन किया जा सकता है। पूर्वगामी के बावजूद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास किसी तीसरे पक्षकार की लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक सम्पदा को उप-लाइसेंस प्रदान करने का प्राधिकार नहीं होगा। विशेष रूप से यहां पर विनिर्दिष्ट लाइसेंस केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए है तथा इस अनुबंध में उल्लिखित नहीं किए गए लाइसेंस अथवा अतिरिक्त अधिकारों के सृजन हेतु किसी भी तीसरे पक्षकार द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

2.3 केवल गैर-व्यापारिक उद्देश्यों हेतु – *इको इंडिया की पूर्व लिखित सहमति के बिना, यदि सहमति पर रोक लगाई गई है तथा इको इंडिया के विवेक पर आधारित है तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक सम्पदा का प्रयोग करेगा तथा इको परियोजना तथा इको इंडिया मिशन के अनुसार ही इको परियोजना गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। व्यापारिक उद्देश्य हेतु परियोजना इको का प्रयोग निषेध है। उदाहरणस्वरूप इको मॉडल को बेचना तथा उप-लाइसेंसीकरण, लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक सम्पदा, पाठ्यक्रम सामग्री, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर एसेस, इको मॉडल से संबंधित परामर्श सेवाएं, मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त इको परियोजना के प्रतिकृति अथवा संसाधन पुनर्वास निषेध है। व्यापारिक प्रयोग अथवा इको परियोजना मिशन के क्षेत्र से बाहर इसके प्रयोग की अनुमति हेतु कृपया इको इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ. सुनील आनंद से सम्पर्क करें। पूर्व में उल्लेख के बावजूद, ईको परियोजना को बनाए रखने के लिए स्थानीय या राष्ट्रीय भुगतानकर्ताओं/हितधारकों के साथ वित्तीय व्यवस्था स्वीकार्य है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:*

क. ईको मॉडल[टीएम] और लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा का उपयोग संघीय, गैर-संघीय और फाउंडेशन मोनीज के आग्रह सहित अपनी स्वयं की ईको परियोजना के लिए अनुदान और धनराशि विकसित करने के लिए उपयोग कर सकता है।

ख. रोगी देखभाल, प्रशिक्षण और ईको से संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए बीमा और तीसरे पक्षकार के स्वास्थ्य सेवा प्रदाता संगठनों से धनराशि प्राप्त कर सकता है।

ग. ईको से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने के लिए मेडिकेयर, मेडिकेड, स्वास्थ्य विभाग आदि सहित शहर, राज्य या संघीय विधायी स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकता है।

2.4 परामर्श सेवाएँ: *ईको इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ अलग व्यवस्थाओं के तहत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परियोजना ईको गतिविधियों के संचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को परामर्श सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है।*

अनुच्छेद III - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के उत्तरदायित्व

3.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परियोजना ईको गतिविधियों का संचालन। *स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस समझौते के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परियोजना ईको गतिविधियाँ कार्यान्वित और संचालित करेगा।*

3.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की बाध्यताएं: *परियोजना ईको गतिविधियों के संचालन के संबंध में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:*

(क) परियोजना ईको गतिविधियों के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए निष्पादन से संबंधित सभी लागत और व्ययों का भुगतान करेगा और उनके लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किसी भी उपकरण

और परियोजना ईको गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण की लागत भी शामिल है।

(ख) जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है, सभी लागू कानूनों और नैतिक नियमों का पालन करेगा जिसमें भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून शामिल है, लेकिन उन्हीं तक ही सीमित नहीं है। विशेष रूप से, उप-लाइसेंसधारक प्रतिकृति स्थल की लागू कानूनों के अनुपालन की एकमात्र और अनन्य जिम्मेदारी होगी जब संयुक्त राज्य क्षेत्रों के भीतर और बाहर दोनों कार्य करते हैं। इसमें राज्य, स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विनियमो, अनुपालन और अन्य अपेक्षाएं शामिल है लेकिन इतने तक ही सीमित नहीं है।

(ग) अपेक्षा करेगा कि अनुमत पीसीसी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय विशेषज्ञ, परियोजना ईको गतिविधियों में उनकी भागीदारी के संबंध में सभी लागू कानून और नैतिक नियमों का पालन करेंगे।

(घ) विशिष्ट रूप से ब्रांड परियोजना ईको गतिविधियाँ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में आयोजित करेगा, जिसमें लिखित, ऑनलाइन और विपणन सामग्री शामिल हैं, जिसमें परियोजना ईको लाइसेंस प्राप्त ब्रांड मार्क्स (एक्ज़िबिट ए) का उपयोग किया जाएगा जो इसकी विशिष्ट परियोजना के लिए अनुकूलित है। विशेष रूप से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को ईको गतिविधियों के संचालन के लिए कैमरे के प्रमुख दृश्य में अधिकृत और स्वीकृत ईको लोगो (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लाइसेंस प्राप्त ब्रांड मार्क्स के अनुसार) के साथ एक बैनर रखना चाहिए।

(ङ) परियोजना के नाम या शीर्षक में "परियोजना ईको" को शामिल करेगा, जो इस अनुकूलित बौद्धिक संपदा शर्तों के उपयोग संबंधी समझौते में उपयोग किए गए संगठनात्मक नाम

से निर्धारित किया जा सकता है। "ईको संस्थान" का नाम उपयोग के लिए निषिद्ध है जो विशेष रूप से यूएनएमएचएससी में परियोजना ईको के लिए आरक्षित है।

(च) उप-लाइसेंसधारक प्रतिकृति साइट पर ईको से संबंधित सभी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आईईको नामक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पूरी तरह से उपयोग करेगा।

(छ) ईको संस्थान और ईको इंडिया द्वारा संचालित परियोजना ईको गतिविधियों की गुणवत्ता के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली, व्यवसायिक सेवाओं के रूप में परियोजना ईको गतिविधियां संचालित करेगा। ईको संस्थान और ईको इंडिया के पास ईको मॉडल में निष्ठा का आकलन करने और इस पैराग्राफ में उल्लिखित दायित्वों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सिफारिश प्रदान करने का अधिकार है।

(ज) व्यक्तिगत निर्णय लेने के साधन विकसित करने, विविध भौगोलिक क्षेत्रों में रोग पैटर्न का आकलन करने तथा और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली पर ईको मॉडल के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज और प्रसार के लिए डेटा को साझा करने और एकत्र करने के लिए आवश्यक तंत्र तैयार करने के लिए ईको इंडिया और ईको संस्थान के साथ काम करेगा।

अनुच्छेद IV –बौद्धिक संपदा का अधिकार

4.1 **लाइसेंसधारी बौद्धिक संपदा का स्वामित्व**। इस अनुबंध में लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा या परियोजना ईको गतिविधियों का शीर्षक या स्वामित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को देने का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन इस समझौते के अनुसार उपयोग के केवल सीमित अधिकारों का प्रावधान हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

संपदा की सभी प्रतियों और परियोजना ईको के कॉपीराइट नोटिस और मालिकाना लीजेंट्स को शामिल करेंगे क्योंकि वे लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा में और लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा वाले मीडिया पर दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसके द्वारा समझता है और वारंट करता है कि लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा यूएनएम की संपत्ति है और इसका उप-लाइसेंस, जैसा कि ईको इंडिया द्वारा इस समझौते के अनुसार दिया गया है, और इससे संबंधित कोई भी अधिकार इस समझौते में शामिल एवं स्वीकार्य प्रावधान तक ही सीमित है।

4.2 लाइसेंस ग्रांट बैक: *इस समझौते के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को अधिकार देने के लिए विचार के एक हिस्से के रूप में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एतद द्वारा ईको इंडिया और दुनिया भर के ईको संस्थान/यूएनएमएचएससी को अनुदान देता है, जिसमें गैर अनन्य, पूरी तरह से उप-लाइसेंस योग्य, रॉयल्टी-फ्री अधिकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसके एजेंटों, कर्मचारियों, या ठेकेदारों द्वारा तैयार, विकसित, अथवा परिकल्पित किसी भी डेरिवेटिव कार्य का किसी भी कीमत पर उपयोग करना शामिल है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट ईको गतिविधियों के संचालन में अथवा लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा का उपयोग करके जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ईको इंडिया, यूएनएमएचएससी, या ईको संस्थान के साथ साझा करता है (उदाहरण के लिए, इसे बॉक्स प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करके)। ईको मॉडल की भावना में, सभी कार्यक्रम प्रविष्टियों और शैक्षणिक सामग्री को आईईसीओ सॉफ्टवेयर डेटाबेस में दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि सरकारी बैठकों में कई विवरणों (रोगी/जनसांख्यिकीय) पर चर्चा की जाती है, इन्हें डेटाबेस में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।*

अनुच्छेदV - वारंटियों की अस्वीकृति और देयता की सीमा

5.1 वारंटियों की अस्वीकृति। *ईको इंडिया द्वारा प्रदान की गई लाईसेंसप्राप्त बौद्धिक सम्पदा और कोई भी सेवा जो "जैसा है" के रूप में प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई वारंटियां या प्रतिनिधित्व, स्पष्ट या प्रच्छन्न (एक्सप्रेस या इम्प्लायड) जो लाईसेंसप्राप्त बौद्धिक सम्पदा के संबंध में की जाती है और ईको इंडिया विशेष रूप से सभी वारंटियों का दावा अस्वीकार करती है जो स्पष्ट या प्रच्छन्न (एक्सप्रेस या इम्प्लायड), एक पार्टनरशिप के लिए व्यापारिकता, अधिकार, या किसी विशेष प्रयोजन के लिए फिटनेस और किसी भी वारंटी के लिए सीमित नहीं है, और किसी भी अन्य योग्य उम्मीदवारों के लिए योग्यता, सुरक्षा, युटिलिटी, लाईसेंसप्राप्त बौद्धिक सम्पदा या परियोजना ईको के उपयोग।*

5.2 देयता की सीमा *किसी भी स्थिति में ईको इंडिया, ईको संस्थान या यूएनएमएचएससी इस करार से संबंधित किसी दावे या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परियोजना ईको से संबंधित कार्यकलापों के आचरण से पैदा होने वाले कोई विशेष, परिणामी, अप्रत्यक्ष, अनुकरणीय, दंडात्मक या आकस्मिक क्षतियों (लुप्त या प्रत्याशित राजस्व या उपर्युक्त से संबंधित लाभ सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे ऐसे दावे संविदा, नियम व शर्तों (लापरवाही सहित) के आधार पर हों या अन्यथा रूप से हों, भले ही ऐसे पक्षकार के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने उपर्युक्त की संभावना या होने की सलाह दी हो।*

अनुच्छेद VI – अवधि एवं समाप्ति

6.1 अवधि *यह करार प्रभावी तारीख के एक वर्ष बाद तक मान्य रहेगा और तब तक लागू रहेगा, और उसके बाद अगले एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगा, जब तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या ईको इंडिया दूसरे को प्रभावी तिथि की वर्षगांठ से कम से कम नब्बे (90) दिन पहले गैर-नवीनीकरण की लिखित सूचना नहीं देगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण*

मंत्रालय समझता है और एतद्वारा सहमत है कि ज़ूम सॉफ्टवेयर के लिए ईको संस्थान के अनुबंध और ईको इंडिया के साथ ईको संस्थान के अनुबंध के अनुसार, यह सॉफ्टवेयर केवल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 31 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए बिना किसी लागत के है, उस तारीख के बाद, ईको इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को उस सॉफ़्टवेयर तक पहुँच प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

6.2 समाप्ति: *यदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा का दुरूपयोग करे या इस करार की किसी शर्त का अन्यथा उल्लंघन करे तो ईको इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को लिखित रूप से नोटिस देने के तुरंत बाद इस करार को समाप्त करने का हकदार होगा। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और ईको इंडिया इस करार के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में साठ (60) दिनों के लिखित नोटिस द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगें। इस समझौते की समाप्ति या समापन के बाद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा के सभी उपयोग को तुरंत रोक देगा।*

अनुच्छेद VII – विविध

7.1 **विविध शर्तें** इस करार पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी: (क) इस करार के तहत अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निष्पादन में, प्रत्येक पक्षकार इस बात से सहमत है कि वे किसी भी सामग्री या संबंधित तकनीकी डेटा के निर्यात या पुन: निर्यात से संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून, विनियमन या संधि, या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते, का उल्लंघन नहीं करेंगे, जिसका भारत पालन करता है या जिसके साथ भारत अनुपालन करता है। उपर्युक्त के अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समझता है और इस बात से सहमत हैं कि यूएनएमएचएससी और ईको संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित कोई मार्गदर्शन, परामर्श या समर्थन प्रदान नहीं

कर रहे हैं, जैसे कि आवश्यक हो सकता है, और उन गतिविधियों से संबंधित किसी भी कानूनी या अन्य आवश्यकताओं और उन इलाकों में ईको मॉडल का उपयोग इस करार में अभिव्यक्त या निहित कुछ भी, इस करार से संबंधित व्यक्ति न ही पक्षकार को कोई अधिकार, उपचार, दावे या हित प्रदान करने के लिए उद्दिष्ट नहीं है; (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ईको इंडिया का स्वतंत्र ठेकेदार हैं; (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस करार के तहत इसके किसी भी अधिकारों, शक्तियों, कार्यों या दायित्वों का स्थानांतरण, सुपुदर्गी या सब-लाइसेंस नहीं कर सकता है; (घ) यह करार इससे संबंधित सभी पूर्व करारों का अधिक्रमण करते हुए इससे संबंधित विषय के संबंध में ईको इंडिया व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच पूरे करार का गठन करता है और इसे लिखित करार के अलावा संशोधित नहीं किया जा सकता है; (ड.) इस करार को इसके कानूनों के सिद्धांतों की भिन्नता की परवाह किए बिना भारत के कानूनों के अधीन माना जाएगा। (च) इस करार के तहत लाई गई कोई भी कानूनी कार्रवाई दिल्ली, भारत के सक्षम न्यायालय में लाई जानी चाहिए; (छ) इस करार के तहत दी जाने वाली कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी। (ज) इस करार की समाप्ति होने पर, खंड 2.1, 2.3 और 3.2 की बाध्यताएँ और ज़िम्मेदारियाँ समाप्त हो जाएँगी, अर्थात् ईको गतिविधियों के लिएईको नाम और ब्रांड को बनाए रखना होगा और ईको आईपी को तीसरे पक्षकार को बेचने पर प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

इसके साक्ष्य में, उपर्युक्त दर्शाए गए दिन व वर्ष में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व ईको इंडिया ने अपने यथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय *द्वारा: हस्ताक्षरित/-* *श्री विकास शील,* *संयुक्त सचिव (स्वा.एवं प.क.)*	***ईको इंडिया*** *द्वारा: हस्ताक्षरित/-* *डॉ. सुनील आनंद* *कार्यकारी निदेशक* *दिनांक: 29 जुलाई, 2019*

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

सत्यमेव जयते
Government of India

Project ECHO®

सत्यमेव जयते
Government of India

शब्दावली

अनुबंध से तात्पर्य अनुबंध के उपयोग की शर्तों के संबंध में "सबलाइसेंसी रिप्लीकेशन साईट इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी" से है।

"प्रयोज्य कानून" से अभिप्राय किसी भी भारतीय या संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्रीय, संघीय या राज्य स्तरीय कानून, कानून, अध्यादेश, नीति, मार्गदर्शन, नियम, प्रशासनिक व्याख्या, विनियम, आदेश, रिट, निषेधाज्ञा, निर्देश, निर्णय, डिक्री या अन्य कानूनी अपेक्षा से है, जो इस के तहत या इसके व्यवसाय, परिसंपत्ति, देनदारियों, संचालन, अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, परामर्शदाताओं या एजेंटों के किसी भी पक्षकार पर लागू होता है।

"व्युत्पन्न कार्य" – किसी भी संपार्श्विक या सामग्री, चाहे वे प्रक्रिया अभिकेंद्रित, नैदानिक, शैक्षिक हो या तकनीकी, परियोजना ईको गतिविधियों को पूरा करने की प्रक्रिया में विकसित की गई हों। इनके उदाहरणों में केस प्रजेंटेशन टेम्प्लेट, मूल्यांकन संसाधन या उपकरण, क्लिनिकल डिडक्टिक प्रेजेंटेशन, ग्रांट-राइटिंग रिसोर्सेज, कम्युनिटी पार्टनर रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी या टूल आदि शामिल हो सकते हैं।
"ईको संस्थान" का अर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको हैल्थ साईंसेज सेंटर में आयोजित प्रोजेक्ट इको गतिविधियां।

"प्रभावी तिथि" का अर्थ है इस अनुबंध के शुरूआती पैराग्राफ में निर्धारित तिथि।

"बौद्धिक संपदा" से अभिप्राय ऐसे किसी भी आविष्कार, खोज, सुधार, लेखकों की रचनाएं या जैसे, पेटेंट, पेटेंट आवेदन और आविष्कार के संबंध में प्रमाण पत्र; व्यापार रहस्य जानकारी या समान अधिकार; कॉपीराइट सामग्री; ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, लोगों और व्यापार पोशाक; और दुनिया भर में किसी भी कानून या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत समान संपत्ति से है।

"लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा" से अभिप्राय उन लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, लाइसेंस प्राप्त ब्रांड मार्क्स, लाइसेंस प्राप्त सामग्री, और संलग्न एग्जिबिट ए पर अभिज्ञात लाइसेंस प्राप्त जानकारी और ऐसी बौद्धिक संपदासे है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण मंत्रालय में अनुबंध की तारीख के बाद विकसित किए जाते हैं, और जो ईको इंडिया या ईको संस्थान को उपलब्ध कराया जाता है।

"अनुमत पीसीसी" से अभिप्राय उन प्राथमिक देखभाल चिकित्सकों से है, जो ग्रामीण और शहरी तथा सीमांत प्रदेशों के प्रदाताओं और जेल की आबादी के प्रदाताओं सहित, काफी हद तक बिना लाइसेंस वाले या गैर-बीमाकृत रोगी आबादी को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं।

"प्रोग्राम डिवीजन" से अभिप्राय उन संस्थाओं से है जो स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, और ईको प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकती हैं।

"प्रोजेक्ट ईको® कार्यकलापों" से तात्पर्य यूएनएमएचएससी/प्रोजेक्ट ईको में विकसित टेलिमेंटरिंग और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के गठन में उन डिजाइन, संरचना और प्रक्रिया से है जो मरीज की देखभाल में सुधार के उद्देश्य से विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों और जेलों में प्राथमिक देखभाल प्रदाताओं के साथ जोड़ने के लिए, टेलीकांफ्रेंसिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग, इंटरनेट आधारित मूल्यांकन उपकरण, ऑनलाइन प्रस्तुतियों, टेलीफोन, फैक्स और ईमेल संचार का उपयोग करते हैं।

"सॉफ्टवेयर" से अभिप्राय ज़ूम, बॉक्स, टीमवर्क और लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से है।

"विशेषज्ञ" से अभिप्राय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियोजित या संबद्ध ऐसे प्रदाताओं से है, जो एक चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं जिसमें प्रोजेक्ट ईको कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं।

"उप लाइसेंसी रिप्लिकेशन साइट" से अभिप्राय वर्तमान समझौते के तहत उप-लाइसेंसधारक यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से है।

एक्जिबिट ए

लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा

पूर्ण और अद्यतन सूची के लिए "लाइसेंस प्राप्त बौद्धिक संपदा" देखें

लाइसेंस प्राप्त व्यापार चिह्न:

ईको® अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण संख्या.4,212,865 (और पंजीकरण आवेदन भारत में लंबित);

परियोजना ईको® और परियोजना ईको® अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण संख्या. 4,212,866 (और पंजीकरण आवेदन भारत में लंबित);

प्रोजेक्ट ईको™का डिजाइन;

ईको स्वास्थ्य®और ईको स्वास्थ्य®अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण 4,696,236 (और पंजीकरण आवेदन भारत में लंबित);

ईको पारिस्थिति तंत्र™ अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन संख्या 86/886,884 (और पंजीकरण आवेदन भारत में लंबित है);

ईकोसॉफ्ट™ अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन संख्या 86/886,904 (और पंजीकरण आवेदन भारत में लंबित है);

आईईको™ और आईईको™ अमेरिका ट्रेडमार्क पंजीकरण आवेदन संख्या. 87/186157(और भारत में पंजीकरण आवेदन लंबित है);

टेलीईको™;
ईको मॉडल™;
ईको संस्थान™;
ईको केयर™; और
मेटा ईको™

स्वास्थ्य देखभाल, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और ईको संस्थान™ ("लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर")के परामर्शी सेवा सॉफ्टेवयर:

iईको™ – प्रोप्राइटैरी टेली ईको™ क्लिनिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस;
iस्वास्थ्य™ – प्रोप्राइटैरी रोगी मामले की प्रस्तुति और रोगी डेटा संग्रह/ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर और डेटाबेस; तथा
ईको स्वास्थ्य™ – प्रोप्राइटैरी रोगी केस प्रस्तुति, रोगी डेटा संग्रह और मामला प्रबंधन सॉफ्टवेयर और डेटाबेस।

अन्य लाइसेंस प्राप्त सामग्री और जानकारी:

कॉपीराइट संरक्षित सामग्री जिसमें एक ऐसी सुविधा के सैट-अप और संचालन से संबंधित सामग्री सम्मिलित है जिसके माध्यम से परियोजना ईको सेवाएं और स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित तकनीकी और निदेशात्मक प्रकृति की विभिन्न शिक्षाप्रद और शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है।